बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../

पटना, दिनांक................................

~~सं0सं0~~–03/उ0नि0/हस्तकरघा–02–14/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 800 (आठ सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को वस्त्र बुनाई में गैर–आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹2,66,88,000.00 (दो करोड़ छियासठ लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 800 (आठ सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को वस्त्र बुनाई में गैर–आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹2,66,88,000.00 (दो करोड़ छियासठ लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

(2) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को हस्तकरघा बुनाई मे प्रशिक्षण दिया जाना है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय उद्यमिता विकास संस्थान, पटना के पत्र सं0–457 दिनांक– 29.11.2018 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(4) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के विभिन्न जिलों यथा गया, भागलपुर, बांका, पटना नालंदा एवं पं0 चम्पारण में चलाया जाएगा।

(5) राशि का व्यय वहन निम्नरूपेण किया जाएगा :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852801020135, के विषय शीर्ष–0135.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	₹17,61,4080.00
ii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0102– इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852807890102, के विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹80,06,400.00
iii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852087960101 के विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹10,67,520.00
	कुल राशि :–	₹2,66,88,000.00

(6) प्रस्तावित व्यय के लिए यथेष्ट बजट उपबन्ध उपलब्ध है।

(7) प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति के रूप में दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते में RTGS/चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(8) संस्थानों के चयन के लिए उद्यमिता विकास संस्थान स्वतंत्र होगा।

(9) प्रशिक्षणोंपरान्त संस्थान द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उद्योग निदेशक, बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग निदेशक द्वारा जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन महालेखाकार, पटना को प्रेषित किया जाएगा।

(10) थर्ड पार्टी एसेसमेंट उप विकास पदाधिकारी वस्त्र/सिल्क इन्स्टीच्यूट भागलपुर के तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा कराया जाएगा।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_Sanction Order/2015-16---------216

क्रमशः पृष्ट–02 पर..

(11) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता नं0–P.L.A-277 उपलब्ध करायेगें।

(12) उद्योग मित्र में रक्षित राशि को समय–समय पर उद्योग निदेशक द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(14) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।

(15) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण (हस्तकरघा)–02–14/2018 के पृष्ठ 02/टि0 पर दिनांक–19.12.2018 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0सं0–3259/IDC दिनांक–19.12.2018 हैं।

(16) राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–03/उ0नि0/ प्रशिक्षण (हस्तकरघा)–02–14/2018 के पृष्ठ 05/टि0 पर दिनांक 28/12/18 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–66 दिनांक 27/12/18 है

(17) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–0.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4783/ पटना, दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र,इंदिरा भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।